Feb 2020

RCMS-2020/00060

आदेश पत्रक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू

मुकदना नम्बर 02/2020 — दिनांक 4-2-2020

फूलचन्द पुत्र राजूराम जाति जाट – बनाम – राजस्थान सरकार तहसील नवलगढ
निवासी टोंकछीलरी तहसील नवलगढ

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना
4.2.20	वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम टोंकछीलरी की सरहद में प्रार्थी की भूमि खाता सख्या नया 276 पुराना 240 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 407, 408, 409 कुल रकबा 3 कुल रकबा 2.64 हैक्टर व राजस्व ग्राम टोंकछीलरी के खाता संख्या नया 275 व खाता संख्या पुराना 239 के खसरा नम्बर 283, 297, 300 कुल किता 3 कुल रकबा 3.19 हैक्टर व राजस्व ग्राम शिवनगर के खाता संख्या नया 30 पुराना 85 के खसरा नम्बर 87 व 88 कुल रकबा 1.95 हैक्टर में मेरा नाम फूला पुत्र राजू दर्ज हो रहा है जो गलत है। इसी पटवार मण्डल में राजस्व ग्राम ढेवा की ढाणी के नये खाता संख्या 57 पुराना खता संख्या 119 में मेरा नाम फूलचन्द सही दर्ज है व मेरे आधार कार्ड, वोटर आई डी में भी फूलचन्द ही नाम दर्ज है। एवं ग्राम टोंकछीलरी के खाता संख्या 275 में मेरा व मेरे भाई करणी व सुलतान का दो–दो बार नाम दर्ज है जो एक जगह दर्ज किया जाने हेतु श्रीमानजी सेवामें प्रार्थना पत्र पेश है। अतः राजस्व ग्राम टोंकछीलरी के खाता संख्या 275 व 276 व ग्राम शिवनगर के खाता संख्या 30 में फूलचन्द पुत्र राजूराज दर्ज करवाने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर दर्ज पंजिका किया गया। तथा प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार नवलगढ की जवाब मय अभिशषा प्रस्तुत किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड पटवार हल्का टोंकछीलरी में ग्राम टोंकछीलरी के नया खाता संख्या 275 व 276 व राजस्व ग्राम शिवनगर के खाता संख्या 30 मे आवेदक का नाम फूला पुत्र राजू जाति जाट दर्ज है तथा इस पटवार मण्डल के राजस्व ग्राम ढेवा की ढाणी में प्रार्थी का नाम फूलचन्द दर्ज है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज का अवलोकन किया करने पर फूला व फूलचन्द एक की व्यक्ति के नाम है जिसको शुद्ध किया जाना उचित होगा। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट का अवलोनक किया गया तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् व राजस्व रिकार्ड का मनन किया गया, के अनुसार प्रार्थी का आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड में फूलचन्द नाम दर्ज है। ग्राम ढेवा की ढाणी के राजस्व रिकार्ड के खाता सख्या 57 व 119 पुराना में भी प्रार्थी का नाम फूलचन्द ही दर्ज रिकार्ड है। एवं उनके भाई करणीराण व सुलतान का दो–दो बा नाम दर्ज है। अतः तहसीलदार नवलगढ की अभिशंषा की रिपोर्ट एवं प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध रिकार्ड अनुसार प्रार्थी का नाम एंव दोहरी प्रविष्टि के एक जगह पर दर्ज किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना न्यायोचित होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.ए. आंशिक रूप स्वीकार किया जाता है कि ग्राम टोंकछीलरी की सरहद में प्रार्थी की भूमि खाता संख्या नया 276 पुराना 240 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 407, 408, 409 कुल रकबा 3 कुल रकबा 2.64 हैक्टर व राजस्व ग्राम टोंकछीलरी के खाता संख्या नया 275 व खाता संख्या पुराना 239 के खसरा नम्बर 283, 297, 300 कुल किता 3 कुल रकबा 3.19 हैक्टर व राजस्व ग्राम शिवनगर के खाता संख्या नया 30 पुराना 85 के खसरा नम्बर 87 व 88 कुल रकबा 1.95 हैक्टर में मेरा नाम फूला पुत्र राजू के स्थान पर फुलचन्द पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी टोंकछीलरी तथा ग्राम टोंकछीलरी के खाता संख्या 275 में दोहरी प्रविष्टि के स्थान पर एक ही प्रविष्टि फुलचन्द पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी टोंकछीलरी का हिस्सा 13/96 दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। करणीराम व सुल्तान प्रकरण मे पक्षकार नही होने से उनके संबंध में चाही गई रिलीफ की हद तक प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नवलगढ को इस आशय की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मुरारी लाल शर्मा) उपखण्ड अधिकारी नवलगढ	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.02.20 16:43:31 IST
Reason: SelfAttested